भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
02-01-2020	(see below)	

विविध वाद सं0–........... (B.C.) / 2019–20 / CNT–46

कृष्ण पद महतो, पिता–स्व0 गोविन्द महतो ....आवेदक

————बनाम————

नकुल महतो, पिता–स्व0 बंका महतो .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदक (विक्रेता) कृष्ण पद महतो, पिता–स्व0 गोविन्द महतो, ग्राम–अर्जूनबेड़ा, थाना–गुड़ाबान्दा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''कुर्मी'' (पिछड़ा वर्ग) द्वारा निन्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता नकुल महतो, पिता–स्व0 बंका महतो, ग्राम–माकड़ी, थाना–गुड़ाबान्दा, अंचल–गुड़ाबान्दा, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर, जाति– ''कुर्मी'' (पिछड़ा वर्ग) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैं:–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
गुड़ाबान्दा	माकड़ी	1026	47	963/A	0.20 ए0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक–06 / 05 / 2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 23 / 05 / 2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, गुड़ाबान्दा के पत्रांक–198, दिनांकः–19 / 06 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में आवेदक के पिता गोविन्द महतो, अनन्त महतो पिता–बैद्यनाथ महतो वगैरह के नाम पर किस्म जमीन दोन तीन दर्ज है। आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदक आवेदित जमीन को बेचना चाहते है। आवेदित भूमि आवेदक के पिता गोविन्द महतो वैगरह के नाम पर पंजी–II में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से काट रहा है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता है। इसके संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या–54, दिनांक–21 / 10 / 2019 दाखिल की गई है। मुखिया, ग्राम पंचायत मुराकाटी का आवेदित भूमि से संबंधित वंशावली प्राप्त है। प्राप्त वंशावली के अनुसार शेष अंशदार श्री अनन्त महतो, पिता–स्व0 बैद्यनाथ महतो की ओर से अनापत्ति शपथ–पत्र संख्या–55, दिनांक–21 / 10 / 2019 दाखिल किया गया है।

02/01/2020

आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही जिला क्षेत्र के हैं तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अंचल अधिकारी का कार्यालय, गुड़ाबान्दा द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC / 2019 / 260275, दिनांक–02 / 03 / 2019, तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC / 2019 / 227136, दिनांक–27 / 03 / 2019 एवं क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC / 2019 / 225402, दिनांक–27 / 03 / 2019 तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, गुड़ाबान्दा से ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC / 2019 / 258331, दिनांक–27 / 03 / 19, तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इसके आधार पर क्रेता की जाति–कुर्मी एवं विक्रेता भी कुर्मी जाति के सदस्य है एवं दोनो एक ही जिला क्षेत्र के निवासी है।

आवेदक 0.20 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–43,000.00 / –(तेंतालीस हजार) रूपये में बेचना चाहते है। मूल्य तालिका के अनुसार मौजा–माकड़ी का कृषि योग्य भूमि का सरकारी मूल्य प्रति डीसमल 980.00 रूपये निर्धारित है। इस प्रकार भूमि का कुल रकवा 0.20 डीसमल का विक्रय दर 19,600.00 रूपया होता है। तदनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को सरकारी दर से अधिक राशि में भूमि का बिक्री किया जा रहा है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी गुड़ाबान्दा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–माकड़ी, थाना नं0–1026, खाता नं0–47, प्लॉट नं0–963 कुल रकवा–0.20 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदक (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक / दखल / कब्जा / कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

c.c of last order is issued. 15/01/2020

लेखापित एवं संशोधित

02/01/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

02/01/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।